

**झारखण्ड सरकार**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

पत्र संख्या— वन भूमि –31/2013 —

व0प0

प्रेषक,

सुनील कुमार,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक.....

**विषय:-** राष्ट्रीय राजमार्ग–32 (NH-32) राजगंज से बंगाल सीमा तक चौड़ीकरण / चार लेनों में परिवर्तन हेतु 8.9615 हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0-11-306/2014-FC (pt.) दिनांक—28.08.2015 के द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—629 दिनांक—07.02.2017 से प्राप्त कार्यानुमति प्रस्ताव की समीक्षोपरांत विषयक परियोजना में सन्त्रिहित अधिसूचित वन भूमि पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—वन भूमि –31/2013 —

व0 प0, राँची, दिनांक —

**प्रतिलिपि:-** सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003/उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय—राँची, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—वन भूमि –31/2013 —

व0 प0, राँची, दिनांक —

**प्रतिलिपि—** प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / N.H.A.I, क्षेत्रीय कार्यालय—राँची, बी-402, रोड नं0-4 सी, अशोक नगर, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— वन भूमि –31/2013 766

व0प0 राँची, दिनांक— 16/02/17

**प्रतिलिपि—** वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट "Forest Jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव